76

न्यायालय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/1504

नवीनचन्द पिता ठोकरसी जी मोता
निवासी–बघाना तह. व जिला
नीमच म.प्र. —————गिरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन —————विपक्षी

निगरानी प्रार्थना पत्र आदरणीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, नीमच जिला नीमच के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 03/पुर्न./17–18 में पारीत आदेश दिनांक 25–1–2018 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/1504

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा शासकीय प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में अधिकारिता विहीन आदेश पारित कर अनियमितता किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरणों को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिये जाने की अनुमति कलेक्टर से प्राप्त की गई है । चूंकि अपर अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, जहां वह अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	